



दिनांक 09.10.2026

प्रेस विज्ञापित 516 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि 01 करोड़ कोर्स पूर्णताएँ हासिल करने वाला देश का प्रथम विभाग बना उत्तर प्रदेश पुलिस

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन तथा पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), श्री राजीव सभरवाल के निकट पर्यवेक्षण एवं सतत सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT (Integrated Government Online Training) पोर्टल पर दिनांक **08 अक्टूबर 2026** को उत्तर प्रदेश पुलिस ने **01 करोड़ कोर्स पूर्णताओं (1,00,48,188)** का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। iGOT टीम द्वारा पुष्टि की गई है कि देश के सभी राज्यों के सभी विभागों एवं समस्त केंद्रीय मंत्रालयों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग देश का प्रथम विभाग है।

प्रशिक्षण से व्यावसायिक दक्षता की ओर

वर्तमान समय में पुलिसिंग की चुनौतियाँ निरंतर बदल रही हैं। साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, संगठित अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियों में प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मियों का अद्यतन ज्ञान और तकनीकी दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशिक्षण पुलिस बल को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने तथा उसकी कार्यक्षमता और व्यावसायिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण को निरंतर सीखने की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। iGOT कर्मयोगी पोर्टल पुलिसकर्मियों को विभिन्न विषयों पर अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्यगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने ज्ञान का विस्तार करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

व्यापक सहभागिता, निरंतर सीखने का संकल्प

दिनांक 08 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस के **3,58,633 कार्मिक iGOT पोर्टल पर पंजीकृत** हो चुके हैं। इन कार्मिकों द्वारा कुल **1,00,48,188 कोर्स पूर्णताएँ अर्जित** की गई हैं। पोर्टल पर कुल 1,45,29,083 लर्निंग आवर्स दर्ज किए गए हैं, जो पुलिस बल में प्रशिक्षण के प्रति व्यापक सहभागिता को प्रदर्शित करते हैं।

प्रशिक्षण को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 01 अगस्त 2026 से वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत पुलिसकर्मियों को शनिवार एवं रविवार को एक

निर्धारित कोर्स पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। दिनांक **08 अक्टूबर 2026 तक 10 वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट के माध्यम से 32,69,223 कोर्स पूर्णताएँ प्राप्त** की गईं।

इसी प्रकार, दिनांक 02 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों ने 28,03,435 कोर्स पूर्ण किए। यह उपलब्धि प्रशिक्षण गतिविधियों में कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी और निरंतर सीखने के प्रति उनके संकल्प को दर्शाती है।

बेहतर प्रशिक्षण से बेहतर जनसेवा

प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिसकर्मियों को नई तकनीकों, आधुनिक कार्यप्रणालियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने से पुलिस की कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। विवेचना के तकनीकी पहलुओं की समझ, विधिक प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन, जनशिकायतों का प्रभावी निस्तारण तथा नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की भूमिका विशेष है।

iGOT पोर्टल पर एक करोड़ से अधिक कोर्स पूर्णताओं का यह कीर्तिमान उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण को संस्थागत कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाने तथा ज्ञान, कौशल और दक्षता के निरंतर विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है। इसका व्यापक उद्देश्य एक ऐसी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जो पेशेवर दक्षता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ आमजन की सुरक्षा एवं सेवा के दायित्वों का निर्वहन करे।

“माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण की क्षमता एवं गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि की जा रही है। iGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक दक्षता, विवेचना के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं की समझ तथा आधुनिक पुलिसिंग से संबंधित कौशल को सुदृढ़ किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा दक्ष, तकनीक-सक्षम, संवेदनशील एवं जवाबदेह पुलिस बल तैयार करना है, जो आमजन को बेहतर, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएँ प्रदान कर सके। iGOT पोर्टल पर एक करोड़ से अधिक कोर्स पूर्णताओं की उपलब्धि इसी निरंतर सीखने और क्षमता संवर्धन के संकल्प का प्रतीक है।”

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण



दिनांक 09.10.2026

प्रेस विज्ञापित 517 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 16 किलो 365 ग्राम सफेद धातु के आभूषण व सिल्ली(ब्लॉक)
- 49 हजार रुपये नगद
- 02 चार पहिया वाहन
- 04 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 09.10.2026 को थाना रकाबगंज व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डा0 अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन के पास से 05 अभियुक्तों 1-महेन्द्र 2-गगन 3-राहुल उर्फ नवल 4-नीरज 5-छोटू उर्फ बैजनाथ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 किलो 365 ग्राम सफेद धातु के आभूषण व सिल्ली (ब्लॉक), 49 हजार रुपये नगद, 02 चार पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र के विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा व मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 16 अभियोग व अभियुक्त नीरज के विरुद्ध जनपद झांसी, कमिश्नरेट आगरा, मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर चोरी आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-महेन्द्र निवासी ग्राम जनकपुर का पुरा धनेला थाना नूराबाद जनपद मुरैना, म0प्र0।
- 2-गगन निवासी सुखना खिरिया थाना भितरवार जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश।

3-राहुल उर्फ नवल निवासी जरेरुआ थाना नूराबाद जनपद मुरैना, म0प्र0।

4-नीरज निवासी ग्राम बंधौली थाना ऊटीला जनपद ग्वालियर, म0प्र0।

5-छोटू उर्फ बैजनाथ निवासी ग्राम बडागाव थाना मनिया जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1-चोरी की 16 किलो 365 ग्राम सफेद धातु के आभूषण व सिल्ली(ब्लॉक)।

2-49 हजार रुपये नगद।

3-02 चार पहिया वाहन

4-04 मोबाइल फोन।

जनपद सम्मल/थाना धनारी

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 1.5 लाख रुपये (कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस

- 3560/-रुपये नगद

- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 09.10.2026 को थाना धनारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिरावटी-बगढेर मार्ग ग्राम धनारी पट्टी चौराहा से 02 अभियुक्तों 1-सुनील 2-नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 1.5 लाख रुपये (कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस, 3560/-रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना धनारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुनील निवासी ग्राम बगढेर थाना धनारी जनपद सम्मल।

2-नरेश निवासी ग्राम बगढेर थाना धनारी जनपद सम्मल।

बरामदगी

1-लगभग 1.5 लाख रुपये (कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस।

2-3560/-रुपये नगद।

3-01 मोटर साइकिल।

- जनपद बहराइच/थाना मटेरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बहराइच द्वारा थाना मटेरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इब्राहिम उर्फ गुल्ले को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय फतेहगढ़ द्वारा थाना कम्पिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पिकी उर्फ राजेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमरोहा/थाना रहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अमरोहा द्वारा थाना रहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बन्टी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मुजफ्फरनगर/थाना फुगाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा थाना फुगाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/120बी/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विकास को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये व धारा 376/511/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
